म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी–1/टी–32/1066 भोपाल, दिनांक 30/05/2020

प्रति,

1. संयुक्त/उप संचालक,
   म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय ग्वालियर/सागर/इन्दौर/
   उज्जैन/जबलपुर/भोपाल/रीवा/नर्मदापुरम/चम्बल.
2. कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग.....
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव
   कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषयः–तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/स्थाई कर्मियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु–सीमा 60 से बढाकर 62 वर्ष निर्धारित करने बाबत्।

संदर्भः–मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक सी–5–1/2012/1–3 दिनांक 19 दिसम्बर 2019.

संदर्भित परिपत्र के तहत तृतीय श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतनभोगी/स्थायी कर्मी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु–सीमा 60 वर्ष से बढाकर 62 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि परिपत्र/आदेश जारी होने की दिनांक 19 दिसम्बर 2019 से लागू किया गया है। परिपत्र दिनांक 19.12.19 की छायाप्रति संलग्न है।

अतः उक्त परिपत्र के निर्देश को आंचलिक कार्यालयों तथा समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में लागू कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

30.5.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी–1/टी–32/1067 भोपाल, दिनांक 30/05/2020
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (वित्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

30.5.20
प्रबंध संचालक सह–आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक, सी–5–1/2012/1–3 भोपाल, दिनांक 19दिसम्बर, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषयः–तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/स्थाई कर्मियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु–सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष निर्धारित करने बाबत्।

सन्दर्भः–सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक–सी, 5–1/2012/1/3, दिनांक 09. नवम्बर, 2012

—

सदंर्भित परिपत्र द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु–सीमा क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष निर्धारित की गई थी। अर्थात राज्य शासन के समस्त विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से अधिकतम क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही कार्य लिये जाने का प्रावधान है।

2– राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि, तृतीय श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन भोगी/स्थायी कर्मी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु–सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष निर्धारित की जावे। यह आदेश जारी किए गए दिनांक से लागू माना जावे।

3– यह आदेश मंत्रि–परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 7 दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 में लिये गए निर्णय के पालन में जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(वरुणेश कुमार जैन)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/एफ 8-1/2018/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10-04-2018

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 2018

***

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31.03.2018 में प्रकाशित मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 की प्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-257

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] भोपाल, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2018—चैत्र 10, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 5458-88-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ४ सन् २०१८

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३१ मार्च, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१८ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २९ सन् १९६७ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २९ सन् १९६७ की धारा २ द्वारा यथा स्थापित मूल नियम ५६ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, मूल नियम ५६ में, उपनियम (१) में,—

(एक) दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक और अक्षर ''(१-क), (१-ख),'' का लोप किया जाए;

(दो) दो बार आने वाले शब्द ''साठ वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''बासठ वर्ष'' स्थापित किए जाएं.

भोपाल :
तारीख ३१ मार्च, २०१८

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2018

क्र. 5458-88-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक आर–1018/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 27-4-2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त निगम/मण्डल,
नगरीय निकाय/कार्पोरेशन,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :– निगम/मण्डल के सेवायुक्तों की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने के संबंध में।

***

राज्य शासन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को अधिसूचित म.प्र. शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 से राज्य शासन के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी पर, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है।

इस परिप्रेक्ष्य में यदि राज्य शासन के निगम/मण्डल, स्वयं के सुसंगत सेवा नियमों में उपर्युक्त अनुसार सेवानिवृत्ति आयु के प्रावधान को सम्मिलित करना चाहते हैं तब स्वयं की वित्तीय स्थिति, आवश्यकता आदि को विचार में रखते हुए सक्षम स्तर से अनुशंसा प्राप्त कर संबंधित प्रशासनिक विभाग से निर्णय प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु, जिन निगम/मण्डलों को राज्य शासन द्वारा बन्द किया जा चुका है अथवा जिनके बन्द (Closure/liquidation) करने की प्रकिया प्रवृत्त है, ऐसी संस्थाओं के सेवायुक्तों की वर्तमान अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि नहीं की जाए।

म.प्र.के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26/4/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-264